FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

ओमाराम .... बनाम .... कोशल्या पत्नी वगैरह

किस्म मुकदमा ....प्रार्थना पत्र 111, 128 RLR Act.... नं. ....237.... सन् ....2020....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.8.2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ....खेताराम गोयल.... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ....111, 128 RLR Act.... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....28/9/2020.... को पेश हो। (हस्ताक्षर) विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
28/9/2020	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दि० 7/10/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
7/10/2020	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप०। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 20/10/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:26:47 IST
Reason: SelfAttested

844

20/10/2020 प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगणो के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया जाता। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। जिसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत पास-पास आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतो के बीच जो पुरानी मोडे एवं कोणे बने हुए है वह आंधियो की वजह से बिखर गए है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नही हो पा रहा है। जिस कारण बारिश के दिनो मे सीमाओं के अभाव मे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के बीच लडाई झगडा रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने के लिए निशानदेही करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का निशानदेही आवेदन स्वीकार कर निशानदेही आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का निशानदेही आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाप को कमिश्नर एवं सम्बन्धित भू.अ. निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खेत की पत्थर निशानदेही मौके पर कमीशन शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो पश्चात नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास
20.10.2020
सहायक कलक्टर
(SDO) बाप

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:26:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

दिनांक:– 21/10/2020

क्रमांक/वाद/2020/ 844

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जेठाराम पुत्र रूगनाथराम निवासी बांडा तालर छीतर का पार तहसील बायतु बाड़मेर		1. कोशलाराम पुत्र रूगनाथराम 8 वगैरा बांडा तालर छीतर का पार तहसील बायतु बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 237/2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा बांडा तालर पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 616/284,619/588 रकबा 3.0337,14.2141 हैक्टर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने ने राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपये 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक/वाद/2020/ 845-49

दिनांक:– 21/10/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी छीतर का पार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री जेठाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण कोशलाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिडा/बायतु/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:26:47 IST
Reason: SelfAttested